

नाम  
अद्व.  
हुक्म  
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी :- गडीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 47/2020 ज०प०

1- जग्गू 510 सीमा गुर्जर नि० मिनाफालिपाल शखेज - हल्का करेडा - प्रार्थी।

वनाम

1- जग्गू 610 गोपी तेजी नि० मिनाफालिपाल शखेज - हल्का करेडा - विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 16/3/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू०-राज० अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मिनाफालिपाल शखेज हल्का करेडा मू०अ०नि० क्षेत्र गोरखा में उनके खाता संख्या 58 की आ०न० 3455/3084, रकबा 2.02 बीघा

स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के नव्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21/3/20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कच्चे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हंरा-फंरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मिनाफालिपाल शखेज हल्का करेडा मू०अ०नि० क्षेत्र गोरखा में उनके खाता संख्या 58 की आराजी नम्बर 3455/3084 - रकबा 2.02 बीघा

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ०नि० गोरखा को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की गौजूदगी में गौके व कच्चे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक उपखंड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन  
उपखंड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा